

नम्बर
अहम
हुकूम
में

महोदय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :- 52/2021 970 फा

श्रीरामचन्द्र उग्र अज्ञातमय मदाजन कि करेडा-रूप करेडा

प्रार्थी.....

बनाम

शान्ति लाल उग्र सोहन खमीर कि करेडा-रूप करेडा-फैरी

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 30/6/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत
वेदन किया कि ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त
की खाता संख्या 1992 आराजी नम्बर 5373 5376 5383
03415/0.5785/0.2509/

कुल किता 3 रकबा 1.1509

भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने
दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की
पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11/2/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी
का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी
का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते
सर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....
करेडा पटवार हल्का करेडा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या
आराजी नम्बर 5373 5376 5383
03415/0.5785/0.2509/

कुल किता 3 रकबा 1.1509

इक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-
लेख निरीक्षक करेडा को 500/- रुपये कमिशनर फीस पर कमिशनर नियुक्त किया
है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान की
दगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर
रगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

गन:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा
जिला भीलवाडा

लिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा
जिला भीलवाडा